लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 14/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/81

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अंदर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा
मो.नं9414104888

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 23–06–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **17–04–2025** (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 877372) पर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **02–06–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने सूचित किया गया।

दिनांक **19–06–2025** को प्रत्यर्थी **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक **25.04.2025** को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तीसरे पक्ष से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में तीसरे पक्ष को पत्र व्यवहार द्वारा सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में तीसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपील निरस्त फरमावे।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.25 10:20:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से तृतीय पक्ष को सूचित करने पत्रो का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **17–04–2025** से 4 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। चाही गई सूचना विस्तृत एवं आदेश/विशिष्ठि (विवरण) रहित है। संभवतः वांछित सूचना से सम्बन्धित अभिलेख में पर व्यक्ति दस्तावेज भी हो। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। अपीलार्थी नियमानुसार अभिलेख के निरीक्षण के पश्चात् पत्रावली/ आदेश/ पत्र की विशिष्ठयॉ (विवरण) के साथ आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करे। **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पत्रावली/ आदेश/ पत्र की विशिष्ठयॉ (विवरण) के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध करावे। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.25 10:20:24 IST
Reason: SelfAttested